

2025/466

७/१/१  
18.7.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
धनगर बनाम फूलगर आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 106 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.06.2025	<p>प्रार्थी धनगर की तरफ से वकील श्री राकेशकुमार भाकर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा हमीरदेसर के ख.नं. 166/1 की 1.581 है., 255 की 4.654 है., 325/1 की 0.177 है., 348 की 1.581 है., 632/187 की 4.578 है., 84/494 की 1.227 है. कुल 13.798 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">०१ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	
18-7-2025	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र न्यायालय पेश की पेश करते पर प्रजावली के पेशी में जि पर गण वकील प्रार्थी ने जि केदन शिका डि प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा हो गया है इन्होंने प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा शिफ्ट में जारीज के करवाना चाहते हैं। इतल प्रार्थना-पत्र मौजूदा शिफ्ट में जारीज शिफ्ट जा रहा है। प्रजावली नम्बर से काम की जाकर अरु रजिस्टर वकील जाया दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">०१ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	

